फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री मांगीलाल गुर्जर** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– 129/24

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/486

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.08.2025 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चीपीखेड़ा की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 344 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में प्रार्थी श्री मांगीलाल पिता भगा हिस्सा 1/5 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चीपीखेड़ा की भू–प्रबंध जमाबंदी संवत 2030 के खाता संख्या 32 पर दर्ज आराजी नम्बर 344 में प्रार्थी के पिता भगा पिता उदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन हिस्सा अंकित नही किया गया है। पटवारी हल्का गोलवाड़ा अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने दादा उदा पिता मोती गुर्जर का 1/2 हिस्सा दर्ज होना बताया है। भू–प्रबंध जमाबंदी संवत 2031 से लगायत 2077 तक की जमाबंदी का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थी के पूर्वजो का 1/2 हिस्सा दर्ज नही रहा है। प्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है जिससे 1/2 हिस्सा होना साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थी का 1/5 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज करने के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी स्वयं द्वारा भी पत्रावली के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतित होता हो कि प्रार्थी या प्रार्थी के मौरूस का प्रकरण में वर्णित भूमि में कभी 1/2 हिस्सा रहा हो तथा सेहवन से 1/5 हो गया हो। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेंट से लेकर हाल जमाबंदी तक का अवलोकन करने पर प्रार्थी या प्रार्थी के मौरूस का राजस्व रिकॉर्ड में कही भी 1/2 हिस्सा अंकित होना नही पाया गया । इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी या प्रार्थी के मौरूस का प्रकरण में वर्णित भूमि में कभी 1/2 हिस्सा रहा ही नही है। तहसीलदार द्वारा भी स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि प्रार्थी का 1/5 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज करने के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नही है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेंटेबल नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **उपखण्ड अधिकारी** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:55 IST
Reason: SelfAttested